



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 370]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 14, 2012/फाल्गुन 24, 1933

No. 370]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 14, 2012/PHALGUNA 24, 1933

इस्पात मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2012

का.आ. 414(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2008 का अधिक्रमण करते हुए, इस अधिक्रमण से पूर्व किए गए और किए जाने हेतु विलोपित किए गए संबंधित कार्यों का संबंध रखे बगैर भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात निम्नलिखित आदेश करती है; अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2012 है।

(2) यह आदेश इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. परिभाषाएँ: इस आदेश में, जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) 'अधिनियम' से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) अभिप्रेत है;

(ख) 'उपयुक्त प्राधिकारी' से कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है;

(i) जिसका स्तर इस्पात मंत्रालय में अवर सचिव के स्तर से कम न हो;

(ii) राज्य सरकारों के जिला उद्योग केन्द्रों के महा प्रबंधक; और

(iii) राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के उद्योगों के निदेशक अथवा आयुक्त।

(ग) 'व्यवहारी' से इस्पात और इस्पात उत्पादों के संबंध में कोई व्यक्ति, या कोई फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या कोई कंपनी अथवा सहकारी सोसायटी अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष रूप से

अथवा अन्यथा ऐसे इस्पात अथवा इस्पात उत्पादों का नकद में अथवा आस्थगित भुगतान के लिए या कमीशन, पारिश्रमिक अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण का कारबार करता हो।

(घ) इस्पात और इस्पात उत्पादों से संबंधित “आईटीसी (एचएस) कोड” से अभिप्राय इंडियन ट्रेड क्लासीफिकेशन (हारमोनाइज्ड सिस्टम्स) से है जैसा कि अनुसूची के कॉलम (3) की प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट है;

(ङ.) ‘विनिर्माता’ से इस्पात और इस्पात उत्पादों के संबंध में कोई व्यक्ति, या कोई फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या कोई कंपनी अथवा सहकारी सोसायटी अभिप्रेत है जो ऐसे इस्पात और इस्पात उत्पादों का उत्पादन, निर्माण, एकत्रण अथवा विनिर्माण करता है तथा जिसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति या फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या कोई कंपनी अथवा सहकारी सोसायटी भी है जो ऐसे व्यक्ति अथवा फर्म अथवा हिन्दू अविभक्त कुटुंब या कंपनी अथवा सहकारी सोसायटी, जैसा भी मामला हो, द्वारा ऐसे इस्पात अथवा इस्पात उत्पादों के उत्पादन, निर्माण, समंजन अथवा विनिर्माण किए जाने का दावा करता हो।

(च) ‘अनुसूची’ से इस आदेश में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(छ) ‘विनिर्दिष्ट मानक’ से इस्पात और इस्पात उत्पादों के संबंध में अनुसूची के स्तंभ (1) में स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट मानक अभिप्रेत हैं;

(ज) ‘राज्य सरकार’ से संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उसका प्रशासक अभिप्रेत है;

(झ) ‘इस्पात और इस्पात उत्पाद’ से अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट मदें अभिप्रेत हैं;

(ञ) जिन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं उनके अर्थ वही होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. विनिर्माण, भंडारण, बिक्री, वितरण आदि के बारे में निषेध:- (1) कोई व्यक्ति स्वयं अथवा अपनी ओर से किसी व्यक्ति के जरिए अनुसूची में दिए गए किसी ऐसे इस्पात और इस्पात उत्पादों का विनिर्माण अथवा विक्रय के लिए भंडारण, बिक्री अथवा वितरण नहीं करेगा जो विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप न हो और जिस पर प्रमाणन चिह्न अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के बाद भारतीय मानक ब्यूरो का मानक चिह्न न लगा हो।

परंतु निर्यात के लिए अपेक्षित ऐसे इस्पात अथवा इस्पात उत्पादों के निर्यात के संबंध में इस आदेश की कोई भी बात लागू नहीं होगी जो विदेशी खरीदारों द्वारा अपेक्षित किसी विनिर्देशन के अनुरूप हो।

